(339)

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.12(19)खान/ग्रुप–1/94–पार्ट जयपुर, दिनांक : 15 JAN 2010

आदेश

अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क एवं अन्य विभागीय बकाया माफी योजना 2009–10

1. योजना का नाम एवं प्रारंभ होने की तिथि :–

1.1 इस योजना को स्थिरभाटक / अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क एवं अन्य विभागीय बकाया ब्याज माफी योजना कहा जायेगा ।

1.2 यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. योजना की प्रभावी अवधि :–

यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेगी ।

3. योजना की प्रायोग्यता (Applicability):–

3.1 यह योजना उन समस्त स्थिरभाटक / अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क एवं अन्य विभागीय राजस्व बकाया (अवैध खनन से संबंधित बकाया को छोड़ते हुए) प्रकरणों पर लागू होगी, जिसमें राजस्व बकाया 31.03.2007 से या इसके पूर्व हो ।

3.2 इस योजना में वे प्रकरण भी सम्मिलित होंगे, जिनमें मांग सृजन के आदेश दिनांक 01.04.2007 अथवा उसके पश्चात् जारी किये गये हो, परन्तु मांग 01.04.2007 से पूर्व की अवधि से संबंधित हो ।

3.3 यह योजना लाइमस्टोन (सीमेंट ग्रेड) के खनन पट्टों पर लागू नहीं होगी ।

3.4 इस योजना में उन मामलों के सेटलमेंट के बारे में भी विचार किया जा सकता है, जिनमें न्यायालयों मे वाद विचाराधीन है एवं सक्षम न्यायालयों द्वारा वसूली पर स्थगन आदेश प्रदान किया गया है ।

4. योजना की शर्तें :–

4.1 दिनांक 31.03.1960 तक की बकाया में से मूल राशि का 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष 90 प्रतिशत मूल राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ कर दी जावेगी।

4.2 दिनांक 01.04.1960 से 31.03.1970 तक की बकाया में से मूल राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष 80 प्रतिशत मूल राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ कर दी जावेगी।

4.3 दिनांक 01.04.1970 से 31.03.1980 तक की बकाया में से मूल राशि का 30 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष 70 प्रतिशत मूल राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ कर दी जावेगी।

4.4 दिनांक 01.04.1980 से 31.03.1990 तक की बकाया में से मूल राशि का 40 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष 60 प्रतिशत मूल राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ कर दी जावेगी।

4.5 दिनांक 01.04.1990 से 31.03.2005 तक की बकाया का शत–प्रतिशत मूल राशि जमा कराने पर सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ कर दी जावेगी ।

4.6 दिनांक 01.04.2005 से 31.03.2007 तक की बकाया का शत्-प्रतिशत मूल राशि जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज राशि माफ कर दी जावेगी ।

4.7 अगर किसी बाकीदार द्वारा पूर्व में समस्त बकाया स्थिरभाटक / अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क की मूल राशि जमा करवा दी गई है तथा केवल ब्याज राशि ही बकाया है तथा वर्तमान में खनन पट्टा प्रभावशील नहीं है तो शेष ब्याज राशि इस योजना के तहत माफ कर दी जावेगी ।

4.8 इस योजना के प्रावधान उन्हीं प्रकरणों पर लागू होंगे, जिसमें बाकीदार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वांछित राशि निर्धारित तिथि तक जमा कराकर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है । यदि प्रकरण न्यायिक / अर्द्ध न्यायिक प्रकिया में लंबित है तथा बाकीदार इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे संबंधित न्यायालय से वाद विड्रा करना होगा एवं विड्रा करने के बाद ही यह योजना लागू होगी ।

4.9 इस योजना के अन्तर्गत निर्णित प्रकरणों को किसी भी न्यायालय अथवा मंच पर पुनः चुनौती नहीं दी जा सकेगी एवं आवेदन करते वक्त बाकीदार को इस संबंध में वचन पत्र (Undertaking) देना होगा ।

5. अपवाद :-

5.1 यह योजना अनाधिकृत खनन के मामलों में लागू नहीं होगी ।

5.2 जिन प्रकरणों में सम्पूर्ण बकाया (ब्याज सहित) पूर्व में जमा हो चुकी है, उन्हें पुनः विचार हेतु नहीं खोला जाएगा ।

5.3 पूर्व में आंशिक रूप से जमा करायी गयी राशि पूर्व के दायित्वों के विरूद्ध मानी जाकर ही शेष बकाया राशि पर यह योजना लागू होगी ।

5.4 इस योजना का लाभ बकायादार को तभी देय होगा, जब बकायादार माफी योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र की दिनांक तक की समस्त बकाया राशि जमा करा दे । अर्थात् बिन्दु संख्या 4.1 से 4.6 का लाभ तभी देय होगा जब बकायादार माफी योजना के तहत प्रस्तुत आवेदन की तिथि तक समस्त बकाया राशि जमा करवा दें।

यह आदेश वित्त (राजस्व डिवीजन) विभाग की सहमति आई.डी.संख्या 110901403 दिनांक 09.12.2009 से जारी किया जाता है ।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय खान राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पैट्रोलियम, राजस्थान, जयपुर
4. शासन सचिव, वित्त (राजस्व डिवीजन) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर कृपया व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करावें ।
7. फैडरेशन आफॅ माइनिंग एसोसियेशन आफॅ राजस्थान, कल्याण भवन, शाह बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयपुर
8. रक्षित पत्रावली ।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, खान एंव भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।

क्रमांकः-निदे / प-13 / ग्रुप 2 / बकाया / F -206 / 23-72 दिनांकः 20 / 01 / 10

प्रतिलिपिः निम्न को प्रेषित कर लेख है कि शासन के आदेशानुसार ब्याज माफी योजना वर्ष 2009-10 को क्रियान्वित कर अधिक से अधिक राशि वसूल करने हेतु पालना सुनिश्चित करावें।

1. अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर / जयपुर / जोधपुर
2. समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता
3. समस्त खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता
4. अधीक्षण भूवैज्ञानिक (रिमोन्ट सैंसिंग), उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशित करने का श्रम करें।

वित्तीय सलाहकार